5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी 1082-I-15

प्रकरण कमांक / /2015 निगरानी

शिवनारायण पुत्र पन्नालाल यादव 53 वर्ष
निवासी लुकमान चौराहा टीकमगढ़
तहसील व जिला टीकमगढ़, म0प्र0---आवेदक

विरूद्व

1--शॅकर पुत्र पन्नालाल यादव
2--नरेन्द्रसिंह पुत्र पन्नालाल यादव
दोनो निवासीं लुकमान चौराहा टीकमगढ़
तहसील व जिला टीकमगढ़, ---अनावेदकगण
3--म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर टीकमगढ़
---तरतीवीं अनावेदक

दिनाँक 14-5-15 को श्री जी.पी. नायक, अभि० द्वारा प्रस्तुत।
14-5-15
SO

(निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 -- राजस्व निरीक्षक वृत्त टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 9 अ 12/14-15 में पारित आदेश दिनांक 24-11-14 के विरूद्व)

महोदय

निगरानी प्रस्तुत करने के कारण

यहकि आवेदक एंव अनावेदक की सामिलाती पैत्रिक कृषि भूमि मौजा टीकमगढ़ खास स्थित सर्वे कमांक 472/1 रकबा 0.129 हैक्टर है, जिसका एकपक्षीय बटवारा अनावेदकगण ने तहसीलदार टीकमगढ़ से मिलकर प्रकरण कमांक 76/13-14 अ 27 में पारित आदेश दिनांक 17--11-14 से करा लिया, जबकि इसी भूमि पर पिता के जमाने से घरेलू बटवारा होकर पिता व्दारा तीनों भाईयों को मौके पर कब्जा दे दिया था तभी से अपने अपने कब्जे वाली भूमि पर खेती करते आ रहे हैं।

यह कि अनावेदकगण ने एक आवेदन सर्वे कमांक 472/1 रकबा 0.129 हैक्टर के सीमांकन हेतु आवेदक की जानकारी एंव सूचना दिये बिना तहसील टीकमगढ़ में प्रस्तुत किया, जिस पर से हलका पटवारी ने आवेदक को सूचना दिये बिना एंव मौके पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-1082/एक/2015 **जिला** टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश शिवनारायण विरूद्ध शंकर	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10 –12–2015	1– प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री जी0पी0 नायक उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। 2– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन की कार्यवाही पटवारी द्वारा की गयी है जबकि पटवारी को सीमांकन की अधिकारिता नहीं है। सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक या तहसीलदार/नायब तहसीलदार सक्षम है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी कहा गया कि उभयपक्ष एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा सीमांकित भूमि भी सहखाते की है, जिसके सीमांकन के संबंध में आवेदक को कोई सूचना नहीं दी गयी। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि नक्शे पर बिना बटांकन किए सीमांकन कर दिया गया है जो विधि विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर निगरानी ग्राह्य करने का निवेदन किया गया हैं। 3– आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा निगरानी मेंमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एव आक्षेपित आदेश दिनांक 24.11.14 का अवलोकन किया गया। इसके आधार पर निम्न बिन्दु समक्ष आते हैं:– 1. अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में संलग्न वर्ष 2012–13 के राजस्व अभिलेख किश्तबन्दी खतौनी तथा खसरे के अनुसार खसरा नं0472/1 रकवा 0.129 हैक्टर जिसके सीमांकन हेतु नरेन्द्र एवं शंकर ने राजस्व निरीक्षक के समक्ष आवेदन किया, शमिलाती खाते की भूमि थी, जिस पर गैरनिगराकार 1 एवं 2 शंकर सिंह एवं नरेन्द्र सिंह के अतिरिक्त, निगराकार शिवनारायण सिंह का नाम भी दर्ज था। 2. राजस्व निरीक्षक द्वारा जारी सूचना पत्र दिनांक 20.11.14 में गैर निगराकार 1 एव 2 शंकर एवं नरेन्द्र के नाम एवं हस्ताक्षर होने के साथ–साथ निगराकर शिवनारायण का नाम एवं हस्ताक्षर भी हैं। अर्थात इस सीमांकन की सूचना निगराकार शिवनारायण को थीं । हांलांकि सूचना पत्र में (या आवेदन में) सरहदी कृषकों या अन्य हितबद्ध पक्षकारों के नाम नहीं हैं, ना ही उनके हस्ताक्षर हैं, ना ही ऐसा कहीं स्पष्ट किया गया है कि उनका उल्लेख क्यों नहीं है। सीमांकन के पूर्व सरहदी कृषकों की जानकारी रखना और उन्हें सूचित करना अनिवार्य है। 3. पंचनामा एवं पटवारी प्रतिवेदन, दोनों की दिनांक 24.11.14, में आवेदित भूमि 472/1 की जगह उसके तीन बटा नम्बरों 472/1/1, 472/1/2, 472/1/3 का उल्लेख किया गया है। सीमांकन आवेदन में ख.नं. 472/1 लिखा होने के बावजूद एवं	

बटांकों से संबंधित कोई राजस्व अभिलेख प्रकरण में नहीं लगा होने के बावजूद, ऐसा किए जाने को कोई आधार प्रकरण में स्पष्ट नहीं किए गये हैं। यह भी स्पष्ट नहीं किया अथवा कराया गया है कि आवेदकगण शंकर सिंह एवं नरेन्द्र का इन तीनों में से कौन–कौन से बटांक से संबंध है, और सीमांकन कर दिया गया है। यदि ख.नं. 472/1 बंटवारा एवं बंटाकन पहले से हो चुका था, तो पूर्ण खसरा नंबर 472/1 (जो शामिलाती खाते का खसरा था) के सीमांकन हेतु दिए गये आवेदन को अस्वीकार किया जाना चाहिए था (वो भी विशेषकर तब जब तीन में से दो शामिलाती खातेदारों ने आवेदन दिया था), या फिर नए बटांकों के स्वामित्व अधिकार प्रकरण में स्पष्ट किए जाकर कार्यवाही की जानी थी, जो नहीं किया गया।

4. इसी कम में, पंचनामे एवं पटवारी प्रतिवेदन में ''अनावेदकगण का आवेदकगण की भूमि में 0.006 है. पर कब्जा'' लिखा गया है, किन्तु कहीं भी 'अनावेदकगण' के नाम स्पष्ट नहीं किए गये हैं, और यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि 472/1 के तीनों बटांकों में से कौन से बटांक पर यह 0.006 है. का कब्जा पाया गया है तथा यह बटांक किसके स्वामित्व का है। इससे प्रकरण पूर्णतः अस्पष्ट हो जाता है।
5. पंचनामे में निगराकार शिवनारायण के हस्ताक्षर नहीं है, जबकि सूचना पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे।
6. आदेश दिनांक 24.11.14 राजस्व निरीक्षक का ही है, ना कि पटवारी का, क्योंकि राजस्व निरीक्षक ने पटवारी प्रतिवेदन आदि स्वीकृत किए जाने का इस आदेश में स्पष्ट लेख किया है।

.4– उपरोक्त विवेचना, विशेषकर पूर्ववर्ती पैरा 3 के बिन्दु (1) से (5) के प्रकाश में राजस्व निरीक्षक मण्डल व तहसील टीकमगढ़ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 24.11.14 अस्पष्ट तथा त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किया जाता है। यदि कोई पक्षकार अपनी भूमि का सीमांकन कराना चाहता हो, तो वे अपने स्वामित्व की भूमि का स्पष्ट हवाला देते हुए एवं सरहदी कृषकों और हितबद्ध पक्षकारों के संबंध में पूर्ण जानकारी के साथ सीमांकन हेतु आवेदन दे सकते हैं, जिसके आने पर आवेदकों के स्वामित्व विशेष की भूमि का सीमांकन, सरहदी कृषकों एवं हितबद्ध पक्षकारों को सूचना एवं पक्ष समर्थन का अवसर देते हुए विधिवत किया जा सकता है। प्रकरण समाप्त। पक्षकार सूचित हों। आदेश प्रति के साथ रिकार्ड वापस हो। प्रकरण दा.रि. हो।

सदस्य 10.12.15